104

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3712–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 186/09–10/स्वमेव निगरानी।

1–श्रीमती लोही पत्नी स्व0श्री मुंशी खॉ
2–बातून खॉ पुत्र मुंशी खॉ
3–रशीद खॉ पुत्र मुंशी खॉ
4–हमीद खॉ पुत्र मुंशी खॉ
5–हफीज खॉ पुत्र मुंशी खॉ
निवासीगण ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर
2–कृष्णामुरारी श्रीवास्तव पुत्र श्री देवीलाल श्रीवास्तव
तत्कालीन पटवारी हल्का नं. 32 ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर ग्वालियर द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 22–5–2010 प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रकरण कमांक 43/1983–84/अ–19(1) संलग्न कर स्पष्ट किया गया कि पूर्व में प्रकरण कमांक 79/73–74/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 10–3–1975 से ग्राम बरूआ, नूराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 1126 मिन रकबा 8 बीघा का शासकीय पटटा मुंशी खॉ को प्रदाय किया गया था, तत्पश्चात् प्रकरण कमांक 43/1983–84/अ–19(1) में पारित आदेश दिनांक 8–1–1985 से प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटा जारी किया गया । कलेक्टर द्वारा जारी किये गये पटटे में अवैधानिकता पाते हुये एवं पटटे की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 31–3–12 को आदेश पारित कर प्रकरण कमांक 43/1983–84/अ–19(1) में पारित आदेश दिनांक 8–1–85 निरस्त किया गया और अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये कि शासकीय अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि कराई जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 8–1–1985 को स्वप्रेरणा से निगरानी में वर्ष 2010 में लगभग 25 वर्ष पश्चात् लिया गया है जो कि अत्यंत विलम्बित कार्यवाही है ऐसी स्थिति में कलेक्टर का आदेश इसी आधार पर निरस्त किया जाना चाहिये । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का पटटा वर्ष 1975 में दिया गया है और कलेक्टर द्वारा 35 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी में प्रकरण लिया गया है जो कि नहीं लिया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण भूमिहीन कृषक है और उनके पास इस भूमि के अलावा और कोई भूमि नहीं है । लिखित तर्क में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध लगभग 33 वर्ष पश्चात् कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया गया है है

जबकि नियमानुसार 180 दिवस के बाद किसी भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है । लिखित तर्क में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता को 30 वर्ष पूर्व भूमिस्वामी अधिकार दिये गये है और आवेदकगण द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्ययालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2013 आरएन 8, 2014 आरएन 168 व 2016 आरएन 149 तथा 1998 (1) एमपीडब्ल्यूएन शार्ट नोट – 26 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदकगण द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लघंन किया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटटेदार की वांछित जानकारी एवं साक्ष्य प्रकरण में नहीं ली जाकर शासकीय पटटेदार से बिना किसी ठोस साक्ष्य के भूमिस्वामी स्वत्व पर पटटा जारी किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार नियमों एवं प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और न ही व्यवस्थापन प्रकरण का संधारण सही रूप से किया जाना पाया गया है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदकपक्ष को अपरोक्ष रूप से लाभ पहुँचाने का प्रयास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है । प्रकरण में प्रथमदृष्टया भूमिस्वामी हक देने में अनियमितता हुई है । इनके विपरीत कोई तथ्य/साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पटटा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदकपक्ष द्वारा इस

न्यायालय में प्रस्तुत न्यायदृष्टांत प्रकरण के निराकरण में प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर